न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 649 सन 2020/ऑन लाईन नम्बरः–2020/01046
अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र भादरराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. साधुराम पुत्र सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
2. मनफुल पुत्र सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
3. हरिसिह पुत्र सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
4. मदनलाल पुत्र सुंखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
5. मंगलसिह पुत्र भादरराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
6. रेशमा पत्नि भादरराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
7. राजबाला पुत्री भादरराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
8. सुनीता पुत्री सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
9. शान्तिदेवी पुत्री सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
10. गीतादेवी पुत्री सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 226/222 के खसरा न0 110 की कुल 11.9250हैक भूमि सयुक्त खाते में वादी की माता सरबती एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी की माता सरबती पत्नि सुखराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

सरबती पत्नी सुखराम के पुत्र भादरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एंव प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है जो भादरराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रवितादी संख्या 1 ता 4 ,5 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 वादी की बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने हक हिस्सा बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनकी माता सरवती के देहान्त होने पर उनके वारिस वादी की माता ,प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी की माता सरवती एवं उसके पुत्र भादरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो वाद भूमि के हकदार है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/भतिजों वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 226/222 के खसरा न0 110 की कुल 11.9250हैक भूमि सयुक्त खाते में वादी की माता सरवती एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी की माता सरवती पत्नि सुखराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

सरवती पत्नी सुखराम के पुत्र भादरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एंव प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है जो भादरराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रवितादी संख्या 1 ता 4 ,5 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 वादी की बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 226/222 के खसरा न0 110 की कुल 11.9250हैक भूमि सयुक्त खाते में वादी की माता सरवती एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी की माता सरबती का देहान्त हो चुका है तथा वादी के पिता भादरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है इसप्रकार सरबती एवं भादरराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 7 वादी की बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 वादी की बुआ व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 226/222 के खसरा न0 110 की कुल 11.9250हैक्ट भूमि में वादी की माता मृतक सरबतीदेवी व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से 7.155हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के नाम , 3.144हैक्ट भूमि प्रवितादी संख्या 4 के नाम , 1. 626हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22|10|2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र भादरराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 साधुराम पुत्र सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
2. मनफुल पुत्र सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
3. हरिसिह पुत्र सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
4. मदनलाल पुत्र सूंखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
5. मंगलसिह पुत्र भादरराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
6. रेशमा पत्नि भादरराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
7. राजबाला पुत्री भादरराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
8. सुनीता पुत्री सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
9. शान्तिदेवी पुत्री सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
10. गीतादेवी पुत्री सुखराम जाति जांगिड निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 649 सन 2020 निर्णय दिनांक– 22/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 226/222 के खसरा न0 110 की कुल 11.9250हैक भूमि में वादी की माता मृतक सरवतीदेवी व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से 7.155हैक भूमि प्रतिवादी संख्याा 1 ता 3 बहिब के नाम , 3.144हैक भूमि प्रवितादी संख्या 4 के नाम , 1.626हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner